न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 67 / 2016

वादीगण

1. मूला राम पुत्र लिखमा राम जाति जाट निवासी मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रूपाराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी मण्डावरा तहसील कुचामन,जिला नागौर
2. दुलाराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर
3. नन्दुदेवी पत्नि सुजाराम जाति जाट निवासी मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर
4. परमाराम पुत्र सुजाराम जाति जाट निवासी मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर
5. गोपालराम पुत्र सुजाराम जाति जाट निवासी मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर
6. भोलुराम पुत्र सुजाराम जाति जाट निवासी मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी,जिला नागौर
7. भागुराम पुत्र सुजाराम जाति जाट निवासी मण्डावरा तहसील कुचामन सिटीं, जिला नागौर
8. शारदादेवी पुत्री सुजाराम जाति जाट निवासी मण्डावरा तहसील कुचामन सिटीं,जिला नागौर
9. सोहनराम पुत्र बोदुराम जाति जाट निवासी मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर
10. नानुराम पुत्र डुंगाराम जाति जाट निवासी मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर
11. अमराराम पुत्र बन्नाराम जाति जाट निवासी मण्डावरा तहसील कुचामन, जिला नागौर
12. मगनाराम पुत्र बन्नाराम जाति जाट निवासी मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर
13. नानूराम पुत्र डुंगाराम जाति जाट निवासी मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर
14. चम्पालाल पुत्र पन्नालाल जाति जाट निवासी मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी,जिला नागौर
15. शिवदानराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी,जला नागौर
16. छोटुराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर
17. परमाराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी हरियाजून तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर
18. चेनाराम पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी,जिला नागौर
19. भंवरलाल पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी मण्डावरा जिला नागौर राज0।
20. सुगनाराम पुत्र पुसाराम जाति जाट निवासी मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर
21. मूलीदेवी पत्नि भारमल जाति जाट निवासी मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर
22. तुलछीराम पुत्र भारमल जाति जाट नि.मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी,जिला नागौर
23. चेनाराम पुत्र भारमल जाति जाट निवासी मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी,जिला नागौर
24. दुलाराम पुत्र भारमल जाति जाट निवासी मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर

25. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर

वाद बाबत इस्तकरार हक, रेकार्ड दुरूस्ती व भू–विभाजन अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से

श्री रणवीर सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी सं.14 की ओर से।

उपखण्ड अधिकारी

निर्णय

दिनॉकः— 17/1/17

तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राथमिक डिक्री की पालना प्राप्त होने पर पत्रावली प्रस्तुत हुई । वकील वादी उपस्थित । वकील वादी ने निवेदन किया कि प्राथमिक रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त हो गई है । निवेदन है कि माफिक प्राथमिक डिक्री के अनुसार अन्तिम डिक्री फरमाई जावें । वकील वादी ने अन्तिम डिक्री पर बहस सुनाई । वादी की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्राथमिक डिक्री दिनॉक 02.12.2016 एवं तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीम पत्रांक/भू.अ./71 दिनॉक 11.01.2017 का अवलोकन एवं वकील वादी की बहस का मनन करने पर न्यायालय का मत है कि प्राथमिक डिक्री फर्द मौका दिनॉक 27.12.2016 के अनुसार ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 26 रकबा 3.33 हैक्टर मे 0.1406 हैक्टर पर वादी मूलाराम पुत्र लिखमाराम जाट साकिन मण्डावरा का नजरी नक्शा मुताबिक (लाल स्याही से दर्शित स्थान पर रास्ते सहित) कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त मौका फर्द पर सम्बन्धित पक्षकारान के हस्ताक्षकर है तथा पटवारी हल्का मण्डावरा,आई.एल.आर.मण्डावरा तथा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा तैयार कर प्रस्तुत की है । अतः उक्त अनुसार अन्तिम डिक्री आदेश जारी किया जाना उचित होने से निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री आदेश जारी किया जाता है।

आदेश

ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 26 रकबा 3.33 हैक्टर खसरा नम्बर 28 रकबा 0.02 हैक्टर खसरा नम्बर 29 रकबा 3.55 हैक्टर कुल रकबा 6.90 हैक्टर में से खसरा नम्बर 26 रकबा 3.33 हैक्टर में 0.1406 हैक्टर का वादी को फर्द मौका रिपोर्ट दिनॉक 27.12.2016 अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । फर्द मौका रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगी। खसरा नम्बर 28 29 एवं खसरा नम्बर 26 के शेष रकबा में से वादी का नाम हटाया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए नक्शे में तरमीम करते हुए पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 17/1/17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)
कुचामन सिटी (नागौर)